

फर्द अहकाम
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 12/2024

उत्नवान

श्री. हरि लाल

बनाम

श्री. अशोक कुमार

धारा 88, 89, 92, 95, 188 प्रा0पत्र / राजस्व वाद

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
------------	---------------------------------	---

29/1/24

वाद जॉच वाद / प्रार्थना पत्र / ईजराय / अपील पेश हुई, दर्ज रजिस्टर किया जावे। सूचना विपक्षीगणों को जरिये तलवाना के अनुसार जारी हो। पत्रावली दिनांक 21/2/24 को पेश हो।

Shad

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

21/2/24

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 21/1/24 को पेश हो।

आदेश से रीडर

29/4/24

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 9/9/24 को पेश हो।


आदेश से रीडर


9/9/24

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 9/11/24 को पेश हो।


आदेश से रीडर


28/10/24 → पत्रावली वारी अधिवक्ता के इतिहास सुनवाई उद्योग पर उद्योग को
फर लख की गई। उद्योग के समय बाह्य लेखक पर नही
प्रकरण में सुनवाई दि. 2/12/24 के बजाम 28/10/2024 नियम
की जाती है। प्रकरण सुनवाई हेतु दि. 28/10/2024 को फेर है


E2111


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

28/10/24 → पत्रावली फेर हुई। वारी अधिवक्ता उपस्थित है वारी अधिवक्ता
ने अपने उद्योग में निरोध किया है कि प्रकरण में वारी
व उद्योग के मध्य शर्जीनाया दी जाने से मर रूप
प्रकरण में कोई कार्यवाही कराना नहीं चाहे है। वारी एवं
वारी अधिवक्ता के समय के उद्योग पर वारी में कार्यवाही
समाप्त की जाती है। प्रकरण के मध्य शर्जीनाया दी जाने से मर रूप से
कम किया जावे।


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा


E2111